

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
 आदेशों के अन्वय में जांच की गई है।
 19/11/2020

राजस्थान गैरों के सर्व प्रविधान 1952

13/11/2020
 15/11/20

[Signature]

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंया की जाती है / की जाती है।

उक्त फिलम जांच उचित है।

[Signature]
 15/11/2020
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 15/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<i>[Signature]</i>	2075-78	414	श्रीमवल्लभ शर्मा पुत्र श्रीकेशमल शर्मा श्रीमती मा. देव शारदा देव	श्रीमवल्लभ शर्मा पुत्र श्रीकेशमल शर्मा श्रीमती मा. देव शारदा देव

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 15/11/20

सं :- राजस्व / 2020 / 1105-06

- पि :-
1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी / प्रार्थीया



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी